



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

169 चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा, II ग्रेटर नौएडा सिटी,
गौतम बुद्ध नगर-201308

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की 104वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12.03.2016 में क्रमशः महायोजना-2021, भवन विनियमावली-2010(यथा संशोधित) में कतिपय संशोधन अनुमोदित किये गये हैं। बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये गये संशोधनों पर जन सामान्य एवं स्टैक होल्डर से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु मदों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

1. ग्रेटर नौएडा महायोजना 2021 में पर्यावरण प्रबन्धन योजना को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में-प्राधिकरण बोर्ड बैठक के अनु0 मद सं0 104/01 क्षेत्र में प्रस्तावित जनसंख्या की वृद्धि के दृष्टिगत अव्यवस्थापना सुविधाओं का प्राविधान वर्ष-2031 में अनुमानित जनसंख्या के अनुसार उल्लेख पर्यावरण प्रबन्धन योजना में सम्मिलित किया गया है। ग्रेटरनौएडा महायोजना 2021 का राष्ट्रीय राजधानी बोर्ड द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 37443/2011 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2011 के क्रम में दिनांक 28.08.2012 को 5 शर्तों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है। शर्त संख्या-03 के क्रम में ग्रेटर नौएडा द्वारा पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार की गयी है, जिसको ग्रेटर नौएडा महायोजना-2021 का अभिन्न यंग बनाया जायेगा।
2. ग्रेटर नौएडा महायोजना-2021 के कतिपय प्रस्तरों में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में-प्राधिकरण बोर्ड बैठक के मद सं0-104/09 में महायोजना-2021 के प्रतिवेदन में प्रस्तर 10.3 में प्रस्तावित संशोधनों के क्रम में प्राधिकरण 103वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-31 पर एजेण्डा के संलग्नक-ग में लिपिकीय त्रुटि के सापेक्ष प्रस्तावित संशोधन किये गये हैं एवं संलग्नक-ग में इंगित प्रस्तर 10.3 को लिपिकीय त्रुटि के कारण संशोधित किया गया है। कन्डोमिनियम की परिभाषा पूर्व में सम्मिलित नहीं की गयी थी। अतः अध्याय-10 के प्रस्तर संख्या-10.4 की टिप्पणी में कन्डोमिनियम की परिभाषा को सम्मिलित किया गया है। अध्याय-10 के प्रस्तर संख्या 10.9 में मनोरंजन हरित में अनुमन्य भू-आच्छादन एवं एफएआर के प्राविधान इंगित है। सामान्यतः महायोजना में भू-आच्छादन एवं एफएआर के प्राविधान इंगित नहीं होते हैं। अतः उक्त प्राविधान को "as per bylaws" इंगित किया गया है।
3. भवन विनियमावली-2010(यथा संशोधित) में मनोरंजन हरित के भूखण्डों पर अनुमन्य ग्राउण्ड कवरेज में वृद्धि के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड के मद सं0-104/32 मै0 कडाई के अनुरोध पत्र दिनांक 24.02.2016 के क्रम में मनोरंजन हरित के भूखण्डों पर अनुमन्य ग्राउण्ड कवरेज में वृद्धि कय योग्य एफएआर एवं मैट्रो के सापेक्ष दिये जाने वाले अतिरिक्त एफएआर में की गयी है मनोरंजन हरित के भूखण्ड जिनमें अधिकतम 20 प्रतिशत ग्राउण्ड कवरेज अनुमन्य है उस श्रेणी में कय योग्य तथा मैट्रो के सापेक्ष दिये गये अतिरिक्त एफएआर को अनुमन्य किये जाने के कारण आई व्यवहारिक कठिनाई के दृष्टिगत अधिकतम अनुमन्य ग्राउण्ड कवरेज को 20 से 25 प्रतिशत किया जाना इस शर्त के साथ किया गया है कि 5 प्रतिशत ग्राउण्ड कवरेज कय योग्य होगा तथा न्यूनतम 25 प्रतिशत भूखण्ड के क्षेत्रफल पर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा तथा इस क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण करना होगा।

उपरोक्त का विस्तृत विवरण प्राधिकरण बैबसाइट Website: www.Greaternoidaauthority.in पर उपलब्ध है। उक्त संशोधनों पर यदि कोई आपत्ति/सुझाव हों तो समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 9.30 बजे से साँयकाल 6.00 बजे तक प्राधिकरण के कस्टमर रिलेशन सेल पर महाप्रबन्धक (नियो0/वास्तु0), ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नौएडा को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप से प्रेषित किया जा सकता है। अनुमोदित संशोधनों को दर्शाते हुए मानचित्र प्राधिकरण के नियोजन विभाग में सभी कार्य दिवसों में अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगा। आपत्ति/सुझाव देने वाले व्यक्ति/संस्था को अपना नाम, पता व दूरभाष सहित पूर्ण विवरण देना आवश्यक है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण

प्राधिकरण की 103वीं बोर्ड बैठक दिनांक 14.02.2015 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.10.2011 के अनुपालन में याचीगणों को 10प्रतिशत भूमि दिये जाने तथा आ रही व्यावहारिक कठिनाई के दृष्टिगत को ग्रेटर नोएडा जोनिंग रेगुलेशन के कतिपय प्रस्तरों में संशोधन अनुमोदित किये गये थे(एजेण्डा की प्रति संलग्नक-1 पर सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।)

प्राधिकरण की 103वीं बोर्ड में प्रेषित मद संख्या-31 पर महायोजना-2021 में प्रस्तावित संशोधन के एजेण्डे के साथ संलग्नक-घ पर संलग्न तालिका के क्रमांक संख्या-47 पर लिपिकीय त्रुटिवश पार्क एव प्ले ग्राउण्ड के स्थान पर पुनः क्रमांक संख्या-46 पर इंगित प्लान्ट नर्सरी की पुनरावृत्ति हो गयी है तथा क्रमांक संख्या-23 गोल्फ कोर्स में वर्तमान प्राविधान में शॉपिंग मॉल इंगित था जो लिपिकीय त्रुटिवश छूट गया है। इसके अतिरिक्त एजेण्डा के संलग्नक-ग पर संलग्न यूज प्रमाइस की तालिका के क्रमांक संख्या-10 में कम्यूनिटी सेन्टर/ ऑडीटोरियम इंगित है जबकि संलग्नक-घ के क्रमांक संख्या-11 पर कम्यूनिटी सेन्टर/ बैंक्युट हॉल इंगित है। एजेण्डा के संलग्नक-ग पर संलग्न यूजप्रमाइस की तालिका के क्रमांक संख्या-6 पर बस टर्मिनल/एलआरटी टर्मिनल इंगित है जबकि संलग्नक-घ के क्रमांक संख्या-7 पर बस टर्मिनल/एलआरटी टर्मिनल/मैट्रो टर्मिनल इंगित है।

उपरोक्त संलग्नक/तालिका में लिपिकीय त्रुटि एवं विरोधाभाष को निम्नानुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है:-

1. महायोजना-2021 के प्रतिवेदन में प्रस्तर 10.3 में प्रस्तावित संशोधनों के क्रम में प्राधिकरण 103वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-31 पर एजेण्डा के संलग्नक-ग में लिपिकीय त्रुटि के सापेक्ष प्रस्तावित संशोधन
- क) प्राधिकरण की 103वीं बोर्ड बैठक में संलग्नक-ग में इंगित प्रस्तर 10.3 के क्रमांक जिनमें लिपिकीय त्रुटि है:-

| Sl.No. | Use Premises | USE ZONES | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|-----------|---|---|---|-------------|----|----|----|----|-------|-----|
| | | R | C | M | I | Green areas | | T1 | T2 | IG | Agri. | IIT |
| | | | | | | P1 | P2 | | | | | |
| 6 | Bus terminal, LRT terminals | NP | P | P | P | NP | NP | P | P | NP | NP | P |
| 10 | Community Centre/Auditorium | P | P | P | P | P | NP | P | P | P | NP | P |

- ख) प्राधिकरण की 103वीं बोर्ड बैठक में संलग्नक-ग में इंगित प्रस्तर 10.3 के क्रमांक जिनमें लिपिकीय त्रुटि को निम्नानुसार संशोधित किया जाना है-

| Sl.No. | Use Premises | USE ZONES | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|---|---|---|-------------|----|----|----|----|-------|-----|
| | | R | C | M | I | Green areas | | T1 | T2 | IG | Agri. | IIT |
| | | | | | | P1 | P2 | | | | | |
| 6 | Bus terminal, LRT terminals/Metro Station and terminal | NP | P | P | P | NP | NP | P | P | NP | NP | P |
| 10 | Community Centre/Auditorium/Banquet Hall | P | P | P | P | P | NP | P | P | P | NP | P |

2. महायोजना-2021 के प्रतिवेदन में प्रस्तर 10.4 में प्रस्तावित संशोधनों के क्रम में प्राधिकरण 103वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-31 पर एजेण्डा के संलग्नक-घ में लिपिकीय त्रुटि के सापेक्ष संशोधन

| | Existing Clause | Proposed Clause in 103 board meeting | Proposed Clause | Remarks |
|----|--|---|---|--|
| 23 | GOLF COURSE Golf Course, Integrated Sports Centre, Restaurant, Hotel, villas, club, swimming pool. Support facilities upto 20% of FAR. | GOLF COURSE Golf Course, Integrated Sports Centre, Restaurant, Hotel, villas, club, swimming pool, shopping mall, <u>Condominiums</u> . Support facilities upto 20% of FAR. | GOLF COURSE Golf Course, Integrated Sports Centre, Restaurant, Hotel, villas, club, swimming pool, shopping mall, <u>Condominiums</u> . Support facilities upto 20% of FAR | In the existing clause by due to typing error shopping mall was omitted and hence no new addition of shopping has been made in proposed clause approved in 103 board meeting |
| 11 | COMMUNITY CENTRE/ AUDITORIUM Community Centre, Club, Outdoor/indoor games facilities, areas for social and cultural activities. Support facilities upto 15% of FAR. | COMMUNITY CENTRE / BANQUET HALL Community Centre, Club, Outdoor/indoor games facilities, areas for social and cultural activities. Support facilities upto 15% of FAR. <u>Guest Room upto 10% of FAR.</u> | COMMUNITY CENTRE AUDITORIUM/ BANQUET HALL Community Centre, Club, Outdoor/indoor games facilities, areas for social and cultural activities. Support facilities upto 15% of FAR. <u>Guest Room upto 10% of FAR.</u> | Auditorium was omitted in proposed clause |
| 47 | PLAY GROUND Play Ground, Parking (upto 10% area), indoor games hall Support facilities(upto 10% ground coverage and 20 FAR) | PLANT NURSERY. Nursery All structures shall be temporary in nature. | PLAY GROUND Play Ground, Parking (upto 10% area), indoor games hall Support facilities(upto 10% ground coverage and 20 FAR) | No Change only typing mistake for proposed clause replaced |

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि कन्डोमिनियम की परिभाषा पूर्व में सम्मिलित नहीं की गयी थी। अतः अध्याय-10 के प्रस्तर संख्या-10.4 की टिप्पणी में कन्डोमिनियम की परिभाषा को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। अध्याय-10 के प्रस्तर संख्या 10.9 में मनोरंजन हरित में अनुमन्य भू-आच्छादन एवं एफएआर के प्राविधान इंगित है। सामान्यतः महायोजना में भू-आच्छादन एवं एफएआर के प्राविधान इंगित नहीं होते हैं। अतः उक्त प्राविधान को "as per bylaws" इंगित किया जाना प्रस्तावित है।

तदनुसार उपरोक्त समस्त संशोधनों को सम्मिलित करते हुए महायोजना-2021 का अध्याय-10 संलग्नक-2 पर प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है। अनुमोदनोपरान्त ग्रेटर नोएडा महायोजना में हुए संशोधन पर जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है। तदोपरान्त शासन को महायोजना-2021 हुए संशोधनों का अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

मद सं०-104/32 भवन विनियमावली-2010(यथा संशोधित) में मनोरजन हरित के भूखण्डों पर अनुमन्य ग्राउण्ड कवरेज में वृद्धि के सम्बन्ध में।

मै० कडाई द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.02.2016 के माध्यम से मनोरजन हरित के भूखण्डों पर अनुमन्य ग्राउण्ड कवरेज में वृद्धि कय योग्य एफएआर एवं मैट्रो के सापेक्ष दिये जाने वाले अतिरिक्त एफएआर के कम में किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है(संलग्नक-1)।

मनोरजन हरित के भूखण्ड जिनमें अधिकतम 20 प्रतिशत ग्राउण्ड कवरेज अनुमन्य है उस श्रेणी में कय योग्य तथा मैट्रो के सापेक्ष में अतिरिक्त एफएआर अनुमन्य किये जाने के कारण आई व्यवहारिक कठिनाई के दृष्टिगत अधिकतम अनुमन्य ग्राउण्ड कवरेज को 20 से 25 प्रतिशत किया जाना इस शर्त के साथ प्रस्तावित है कि 5 प्रतिशत ग्राउण्ड कवरेज कय योग्य होगा तथा न्यूनतम 25 प्रतिशत भूखण्ड के क्षेत्रफल पर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा तथा इस क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण करना होगा। मनोरजन हरित के भूखण्डों पर अतिरिक्त ग्राउण्ड कवरेज निम्न गणना के अनुसार कययोग्य अनुमन्य होगा:-

$$C = L \times 0.15 \times R$$

C= अतिरिक्त कय योग्य भू-आच्छादन का शुल्क

L= अतिरिक्त भू-आच्छादन हेतु भूमि की आवश्यकता

R= प्रति वर्ग मी० भूमि की दर (वर्तमान आरक्षित मूल्य या नीलामी /निविदा/आबंटन दर जोकि अधिकतम हो)

कय योग्य भू-आच्छादन हेतु स्थिर गुणक 0.15 है। अतिरिक्त भू-आच्छादन सेटबैक क्षेत्र में अनुमन्य नहीं होगा।

तदनुसार ग्रेटर नोएडा भवन विनियमावली-2010(यथा संशोधित) के सम्बन्धित प्रस्तारों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। भवन विनियामवली में प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाते हुए तुलनात्मक तालिका संलग्न-2 पर संलग्न है। भवन विनियामवली में किये गये संशोधनों के अनुमोदनोपरान्त समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है। प्राप्त आपत्ति/सुझाव के निराकरण की सुनवाई हेतु निम्न समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है:-

| | | | |
|-----|---------------------------------|---|---------|
| 1. | अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(पी) | - | अध्यक्ष |
| 2. | अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(एम) | - | सदस्य |
| 3. | महाप्रबन्धक(वित्त) | - | सदस्य |
| 4. | महाप्रबन्धक(नियो०/वास्तु०) | - | सदस्य |
| 5. | विशेष कार्यधिकारी(परियोजना) | - | सदस्य |
| 6. | महाप्रबन्धक(परियोजना) | - | सदस्य |
| 7. | उप महाप्रबन्धक(नियो०) | - | सदस्य |
| 8. | वरिष्ठ प्रबन्धक(नियो०) | - | संयोजक |
| 9. | वरिष्ठ कार्यपालक(नियोजन) | - | सदस्य |
| 10. | प्रबन्धक(बिल्डर) / (वाजिपयक) | - | सदस्य |
| 11. | वास्तुविद सहायक | - | सदस्य |

तदोपरान्त ग्रेटर नोएडा भवन विनियामवली-2010(यथा संशोधित) में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

मद सं० 104/18 ग्रेटर नोएडा महायोजना 2021 में पर्यावरण प्रबन्धन योजना को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

ग्रेटरनोएडा महायोजना 2021 का राष्ट्रीय राजधानी बोर्ड द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 37443/2011 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2011 के क्रम में दिनांक 28.08.2012 को निम्न शर्तों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है।

- i. *In order to achieve the targeted population and density as per the Regional Plan 2021 for NCR, density levels may be increased by various measures like increase in FAR creating conducive climate for industrial / economic activities and integration of the DMIC projects and improved connectivity.*
- ii- *Government of U.P. and GNIDA may ensure provision of 20-25% of EWS/ LIG Housing while preparing of Sector Lay-out Plans and Development of Greater Noida area.*
- iii- *Government of U.P. and GNIDA may ensure to prepare the Environment Master Plan of Greater Noida which would be internal part of the notified Master Plan.*
- iv- *Green area proposed is 3580 ha. out of total urbanisable area of 22255 ha. which constitutes about 16% of the total area. this area should be preserved / protected and not subject to any land use change at any future date.*
- v- *Action Plan for implementation and its phasing should be done before notification of the Final Plan by Govt. of U.P./ GNIDA.*

उपरोक्त शर्त संख्या-03 के क्रम में ग्रेटर नोएडा द्वारा पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर जिसको ग्रेटरनोएडा महायोजना-2021 का अभिन्न अंग बनाया जाना है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार किये जाने हेतु मै० दास इण्डिया को सलाहकार नियुक्ति किया गया है। सलाहकार द्वारा तैयार पर्यावरण प्रबन्धन योजना संलग्नक-क संलग्न है। उक्त पर्यावरण प्रबन्धन योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:-

1. LAND ENVIRONMENT

- Land use has been fixed by GNIDA considering various parameters such as terrain, contour, and connectivity
- All developments to have minimum percentage of soft green or as per provision of bylaws.
- Top soil shall to be conserved and used later for landscape designing
- The existing heritage sites/ protected sites to be protected by creating high impact zones (such as industrial areas) away from them.

Land environment in detail has been addressed in the EC and the EMP

2. AIR ENVIRONMENT

- Effective measures to control dust emissions during construction & operation stages of various projects.
- Pollution under Check (PUC) certificate mandatory for all vehicles
- Replacement of diesel based gen sets with gas ones
- Dust barriers in form of Green belts to be planted
- Treatment of flue gas by use of cyclone filters, bag house filters, scrubbers or even electrostatic precipitator in industries before releasing it in environment
- Assisting SPCB in setting of strict exhaust norms and compliance vigil with fines/ penalty clause
- Rewarding good environmental performers.
- Promoting use of public transport, carpooling etc.

Air environment in detail has been addressed in the EC and the EMP.

3. WATER AND WASTE WATER ENVIRONMENT

85 cusec Ganga water supply shall be available from Upper Ganga Canal to supplement the ground water source for meeting the future needs. The work has been executing by M/s U.P. R.N.N and GNIDA and proposed to be completed in a period of 3 years.

At present approximately 500 km length of water supply lines, 35 Nos. overhead tanks and 110Nos. Tube wells have been constructed in the developed area.

The Master Plans for water supply, drainage (including rain water harvesting) and sewerage have been prepared by M/s DHV and other Consultants.

The trunk as well as internal sewers required for the present developed area has been completed. The sewer lines are laid at the time of development of various sectors. The sewerage treatment plant of 137mld capacity has been constructed and operational near Kasna.

At present approximately 460 km length of sewerage network has been completed and is functional. Treatment of present sewage is being done by 137 mld capacity STP.

The general slope of the area is from eastern side towards river Hindon in the west. The drainage system has been designed accordingly. The Drains are being constructed along with the development of sectors.

At present approximately 500 km length of drains has been constructed and are functional.

The Drainage system and management of drains, wetlands and, water harvesting areas has been addressed in the EC and the EMP.

- Water requirement is considered as 225 lpcd, but efforts to be made to reduce this per capita demand by using efficient fixtures.
- In group housings, townships & industries the treatment of waste water shall be done by their own built STP before releasing it in sewerage network for further treatment in Common STP proposed for that area.
- Dual plumbing and recycling of water to meet water requirement for low end uses in group housings, townships & industries.
- Aquifer recharge to be augmented by Rain water harvesting (RWH) pits.
- RWH pits shall be a mandatory requirement for all development units above 100 sqm. Plot area.
- Proper disposal of hazardous substances to avoid leaching and thus contamination of ground water.
- Recycling water to reduce pressure on ground water.
- Using recycled water from CSTP for construction purposes, horticulture needs etc.
- Ban on untreated effluent discharge in water bodies
- Discharge to meet CPCB norms
- Scientific and technical management of catchment.

Water environment in detail has been addressed in the EC and the EMP.

4. NOISE ENVIRONMENT

- Allocation of industries away from habitation.
- Using acoustic enclosures for noisy operations
- Use of suitable noise absorbing material for wall/door/window/ceiling
- Noise barriers such as physical barriers, green belts
- Time restrictions for operation of heavy machinery and vehicles within city.
- Identifying critical no-horn zones

Noise environment in detail has been addressed in the EC and the EMP.

5. ENERGY ENVIRONMENT

- Maximization of use of natural lighting through building design.
- Passive solar cooling, utilizing building shading through overhangs
- Public areas will be cooled by natural ventilation as opposed to air conditioning.
- Promoting use of Solar panels for electricity generation
- Use of energy efficient appliances.
- Promoting Energy-audits in major consumers such as industries, IT SEZ
- Promoting awareness on energy consumption.
- Training staff on methods of energy conservation and to be vigilant to such opportunities
- Use of LEDs and low voltage lighting.

Energy environment in detail has been addressed in the EC and the EMP.

6. WASTE MANAGEMENT

- Disposal of hazardous waste should be as per Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008
- Disposal of biomedical waste should be as per Bio-medical Wastes (Management and Handling) Rules, 1998
- Proper designated waste collection agencies or centers
- Waste will be processed in solid waste processing and disposal facility.
- MSW Rules 2000& their amendments, to be strictly enforced with penalty clause for defaulters.

Waste management in detail has been addressed in the EC and the EMP.

7. BIOLOGICAL ENVIRONMENT

- City forests (Gulistanpur forest block PF Block, Rampur Jagir PF Block, Murshidpur PF Block, Amarpur PF Block and Surajpur wetlands are being developed, with evergreen trees, along with Forest Dept.
- Roadside/ Avenue plantation should include both indigenous and evergreen trees as well as exotic ornamental species
- Development of River Front, Surajpur Wetlands and Kot Escape, and conservation of the same plantation around water bodies
- Plantation to be a mix of evergreen and ornamental plants
- Green belt development, road side plantation, avenue plantation
- Control measures for forest fire such as fire line
- 20 m evergreen tree plantation around water bodies

Biological Environment in detail has been addressed in the EC and the EMP.

8. SOCIAL ENVIRONMENT

- Secondary settlements such as slums to be eliminated by introducing EWS/ LIG housing facilities.
 - Various development schemes such as free education, vocational courses to be provided
 - CSR activities to be directed in such a way that needy are benefitted
 - Security – Provision has been made for police posts for a group of sector and police stations at the city level. One police station in Surajpur and one in Sector Beta are already functional. The district Police Line in 82 acres of land is functional.
 - Facilitating assistance in job/ accommodation verification by local police, NGOs to young women and girls, who migrate to the city in search of jobs and later become victims of various circumstances and social/moral danger
 - Facilitating women's access to appropriate, affordable and user-friendly health care services
 - Nursing home sites (about 26 nos) are planned in developed sectors and few of them are functional.
 - Facilitating functional literacy/vocational training programmes and recreational facilities after working hours for the overall development of the working children
 - Assisting NGOs in Rehabilitation for those weaned out / withdrawn from the profession not only to keep them away from profession but also to keep them tied with alternative developmental avenues
 - Constitution of old age homes to look after the elderlies, in case they are left abandoned.
- Social Environment in detail has been addressed in the EC and the EMP.

उपरोक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड द्वारा महायोजना 2021 को प्रदान की सशर्त स्वीकृति दिनांक 24.08.2012 के शर्त संख्या-1 में ग्रेटर नोएडा के शहरी घनत्व को बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम प्राधिकरण की 92 वीं बोर्ड बैठक में मै0 एमडा द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट का अनुमोदन प्रदान किया गया था। उक्त रिपोर्ट में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में क्रय योग्य एफएआर के सापेक्ष अनुमानित जनसंख्या 2031 तक 28-30 लाख है। ग्रेटर नोएडा विस्तार की महायोजना 2031 में उक्त प्राविधान को सम्मिलित कर उ0प्र0 शासन को अनुमोदनार्थ प्रेषित की जा गयी है। क्षेत्र में प्रस्तावित जनसंख्या की वृद्धि के दृष्टिगत अव्यवस्थापना सुविधाओं का प्राविधान वर्ष-2031 में अनुमानित जनसंख्या के अनुसार किया जा रहा है। तदनुसार इस आशय का उल्लेख पर्यावरण प्रबन्धन योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

ग्रेटर नोएडा हेतु तैयार पर्यावरण प्रबन्धन योजना को बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। अनुमोदनोपरान्त पर्यावरण प्रबन्धन योजना पर जन सामान्य एवं स्टैक होल्डर से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है। तदोपरान्त शासन को महायोजना-2021 में तैयार पर्यावरण प्रबन्धन योजना को सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।